रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 220] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

का.आ. 318(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3344 (अ) तारीख 12 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र, जिसमें प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 16 अक्तूबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल के 24-परगना (दक्षिण) जिले के राजपुर-सोनारपुर नगरपालिका क्षेत्र में नरेंद्रपुर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है; इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 17.19 एकड़ (6.956 हेक्टेयर) है; चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य विभिन्न छोटे पशुओं जैसे कि मत्स्यन, बिल्ली, सियार, जल मॉनिटर छिपकली के साथ-साथ विभिन्न सांप प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है; इस अभयारण्य में पक्षी जीवों का प्रचुर स्त्रोत विद्यमान है;

और, पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीवजंतु, प्राकृतिक और प्राणी-विज्ञान महत्व को ध्यान में रखकर और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) की धारा 26-ए(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियां और वन विभाग अधिसूचना सं. 2869 तारीख 3 जुलाई, 1980 अधिग्रहण किया गया;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य जो बरूईपुर उप-संभाग में स्थित हैँ, प्राचीन सुंदरवन का हिस्सा है; प्राचीन समय में गंगा नदी इस अभयारण्य के पास से होकर बहती थी; इसलिए, बढतें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत इस अभयारण्य की स्थापना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक (आर.डी.बी) में तथा जंगली जीवजन्तु और वनस्पति के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बधी कन्वेंशन के परिक्षण में शामिल की गई वन्यजीवों विशेषकर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को आश्रय और शरण प्रदान करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व है; इस अभयारण्य के समीपवर्ती ग्रामों में विभिन्न प्रकार के छोटे जीव जैसे कि मत्स्यन बिल्ली, सियार, खरगोश, जल मॉनिटर छिपकली और सांप पाए जाते हैं; यह अभयारण्य इन वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है;

और, यह अभयारण्य रेड थ्रोट्ड फ्लाई कैचर, ओरिओल, पैराडाइस फ्लाई कैचर, डरोंगो, जंगली बब्बलर, एशियन कोयल, स्पाट्ड डव, कॉमन किंगफिशर, इंडियन कोयल, रूफस वोडेपेकर, लिटिल कॉर्मोरेंट, लिनिटोट्ड बारबेट आदि पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थल है;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य जैव-भौगोलिक क्षेत्र 7 बी (निचला गंगा मैदान) में स्थित है जैसा कि इसे रॉजर्स और पंवार, 1988 (भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है; इस वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, की अनुसूची में शामिल जीव आते जातें हैं जिनमें सिवेट बिल्ली *(वीवेरीदेअ स्पप.),* मत्स्य बिल्ली *(फेलिस विवेरीना),* नेवला *(हेरपेस्टेस स्पप.),* जल मॉनीटर छिपकली *(वरनुस सलवटोलर),* सियार *(कैनिस अयरेयस),* गिलहरी *(फुनामबुलुस पेन्नान्टी),* सामान्य लोमड़ी *(वुल्पेस बेंगालेंसिस)* शामिल हैं;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य की इस वनस्पति और जीवजंतु जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए मानव जनित विभिन्न दबावों को विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ जुड़ा निकटवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी संवेदीशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र पर काफी प्रभाव डालते है;

और, चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है और इसमें वन्यजीव और इसके पर्यावरण में सुधार और विकास का प्रचार करना आवश्यक है;

और, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य के आसपास में कुछ क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं या उद्योगों के वर्ग, संचालन या प्रकियाओं को प्रतिषिद्ध करने के लिए आवश्यक हो गया है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य में चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन पूर्व की ओर से 22°25'48.69"उत्तरी अक्षांश और 88°24'10.40"पूर्वी देशांतर; पश्चिम की ओर से 22°25'45.67"उत्तरी अक्षांश और 88°23'54.33"पूर्वी देशांतर; उत्तर की ओर से 22°25'57.72"उत्तरी अक्षांश और 88°23'57.76"पूर्वी देशांतर और दक्षिण की ओर से 22°25.40.00"उत्तरी अक्षांश और 88°24'8.23"पूर्वी देशांतर से घिरा हुआ है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का एक समान विस्तार 100 मीटर है जिसका क्षेत्र 0.105 वर्ग किलोमीटर तक आच्छादित है।

(3) वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक और मानचित्र, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण, मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ठ किए गए अनुसार और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग;

(xiii) पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों और सहायक मानचित्रों के साथ भी अभ्यंकन करेगी। यह योजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग की विशेषताओं के दिये विवरण मानचित्र द्वारा समर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकल्प को सुनिश्चित ओर अभिवृद्धि करेगी।

IndiaCode

(8) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार आंचलिक महायोजना पर्यटन महायोजना के अनुसार के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगेः

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल/रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना

सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां-** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भीतर कोई भी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय

		निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रकिया।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये ठोस अपशिष्ट की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा प्रतिषिद्ध है ।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीः

		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं ।
12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन एफ पी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
18.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन,	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	जलीय संसाधनों के लिए मछली पकड़ने के विनाशकारी नियमों का उपयोग (स्थानीय मछलियां, झींगे, केकड़ आदि)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	वनस्पति बाड़ लगाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	प्राकृतिक आवास बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पारिस्थितिकी अनुकूल व्यवहार और मनोभाव विकास के लिए लोगों छात्रों, पर्यटको, का संवेदीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	सतत विकास और जैव-विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता, कारण और प्रशिक्षण क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(**क**) जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना (दक्षिण) -अध्यक्ष;

(**ख**) मुख्य वन्यजीव वार्डन के प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल –सदस्य;

(**ग**) पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड –सदस्य;

(**घ**) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि –सदस्य;

(**ङ**) कृषि विभाग के प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल सरकार –सदस्य;

(**च**) शहरी विकास और आवास विभाग के प्रतिनिधि, परगना (दक्षिण) 24 पश्चिम बंगाल सरकार –सदस्य;

(**छ**) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य –सदस्य;

(**ज**) जिला वन्यजीव वार्डन, 24-परगना (दक्षिण) –सदस्य-सचिव;

6. निर्देश–निबंधन:- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

IndiaCode

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

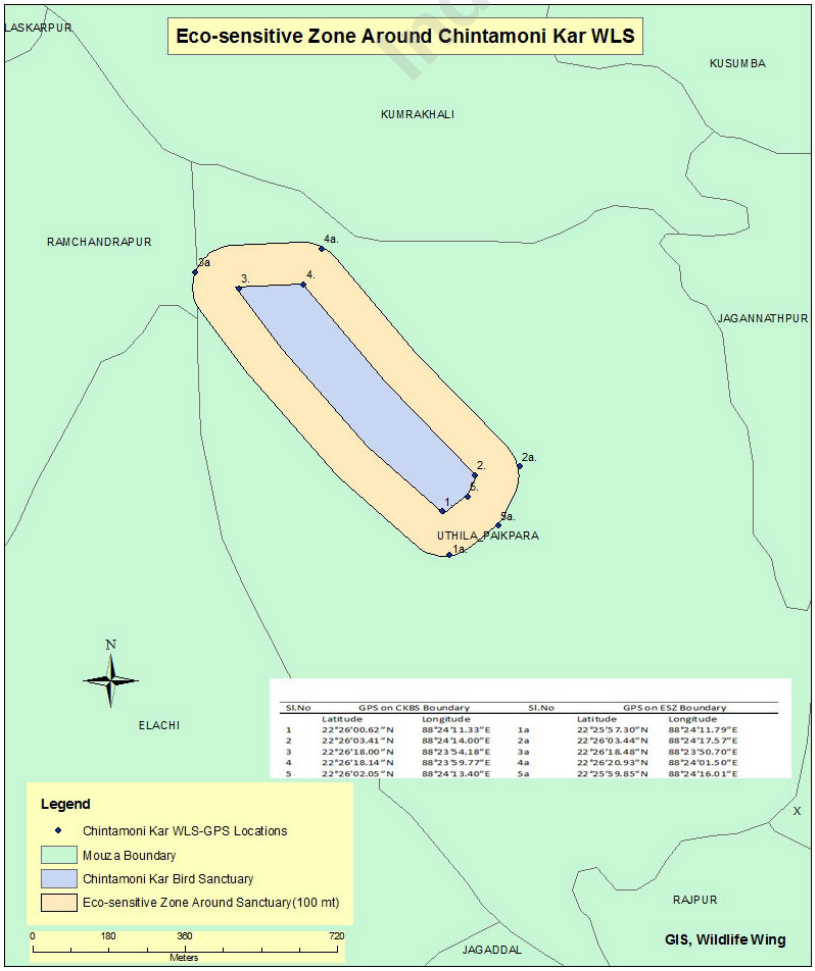
8. उच्चतम न्यायालय के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/47/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

अक्षांश और देशांतर सहित चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



Sl.No	GPS on CKBS Boundary Latitude	Longitude	Sl.No	GPS on ESZ Boundary Latitude	Longitude
1	22°26'00.62"N	88°24'11.33"E	1a	22°25'57.30"N	88°24'11.79"E
2	22°26'03.41"N	88°24'14.00"E	2a	22°26'03.44"N	88°24'17.57"E
3	22°26'18.00"N	88°23'54.18"E	3a	22°26'18.48"N	88°23'50.70"E
4	22°26'18.14"N	88°23'59.77"E	4a	22°26'20.93"N	88°24'01.50"E
5	22°26'02.05"N	88°24'13.40"E	5a	22°25'59.85"N	88°24'16.01"E

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर : प्लॉट सं. 2073, 2097 और 2098

दक्षिण: सड़क सं. 2900

पूर्व : सड़क सं. 2166 और प्लॉट सं. 2150 और 2151

पश्चिम : अदी गंगा जल निकास ।

चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य के निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	22⁰26'00.62" उ	88⁰24'11.33" पू
2.	22⁰26'03.41" उ	88⁰24'14.00" पू
3.	22⁰26'18.00" उ	88⁰23'54.18" पू
4.	22⁰26'18.14" उ	88⁰23'59.77" पू
5.	22⁰26'02.05" उ	88⁰24'13.40"पू

चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

क्र. सं	अक्षांश	देशांतर
1ए	22⁰25'57.30" उ	88⁰24'11.79" पू
2ए	22⁰26'03.44" उ	88⁰24'17.57" पू
3ए	22⁰26'18.48" उ	88⁰23'50.70" पू
4ए	22⁰26'20.93" उ	88⁰24'01.50" पू
5ए	22⁰25'59.85" उ	88⁰24'16.01" पू

उपाबंध II

चिन्तामणि कर पक्षी अभयारण्य की सीमा के 100 मीटर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	नाम	ग्राम	मौजा	क्षेत्र प्रकार	भू-निर्देश	
1	सोनारपुर	उकीलापाइकपारा	उकीलापाइकपारा	आवासीय	22-25'-54.7"	88-23'-54.4"
2	सोनारपुर	राथताला	राजपुर	आवासीय	22-25'-46.09"	88-24'-09.84"
3	सोनारपुर	जगद्दाल, इलाची	जगद्दाल, इलाची	आवासीय	22-25'-42.85"	88-24'-12.1"

उपाबंध III

कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:-

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

India Code

4. भू-अभिलेख (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश। ब्यौरे पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

S.O. 318(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3344 (E), dated the 12th October, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said the draft notification were made available to the public on the 16th October, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from all persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS, the Chinatamoni Kar Bird Sanctuary is located within urban conglomeration of Narendrapur within the jurisdiction of Rajpur–Sonarpur municipality of 24-Parganas (South) District of West Bengal; total area of the Sanctuary is 17.19 acres (6.956 hectare); Chinatamoni Kar Bird Sanctuary is famous for various smaller animals such as Fishing Cat, Jackal, Water Monitor Lizard as well as various snake species; a rich source of avifauna is also present in Sanctuary;

AND WHEREAS, Considering the adequate ecological, faunal, natural and zoological significance and in exercise of the power conferred under section 26-A (a) of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in supersession of Forest Department Notification No. 2869 dated 3rd July, 1980;

AND WHEREAS, the Chintamoni Kar Bird Sanctuary which is situated in Baruipur Sub-division is a part of ancient Sunderban; in the early days River Ganga was following by the side of the Sanctuary; so the establishment of the Sanctuary within the growing urban conglomeration has a paramount significance;

AND WHEREAS, Chintamoni Kar Bird Sanctuary its significance in the international context for providing shelter and protection to various species of wildlife particularly birds included in the Red Data Book (R.D.B.) of the International Union for Conservation of Nature and the appendices of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna ; various types of smaller animal e.g. Fishing Cat, Jackal, Hare, Water Monitor Lizard and snakes are found in the adjoining villages of the sanctuary; this sanctuary can play a vital role for the conservation of that wildlife;

AND WHEREAS, this Sanctuary is a paradise for birds such as Red throated fly catcher, Oriole, Paradise fly catcher, Drongo, Jungle Babbler, Asian Koel, spotted Dove, Common Kingfisher, Indian cuckoo, Rufous Woodpecker, Little Cormorant, Lineated Barbet etc.

AND WHEREAS, Chintamoni Kar Bird Wildlife Sanctuary located in the bio- geographic zone 7B (Lower Gangetic Plain) as recognized by Rodgers and Panwar, 1988 (Wildlife Institute of India, Dehradun); this Wildlife

Sanctuary is visited by number of scheduled animals of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which include Civet Cat (Viverridae spp.), Fishing Cat (Felis viverrina), Mangoose (Herpestes spp.), Water Monitor Lizard (Varanus salvator), Jackal (Canis aureus), Squirrel (Funambulus pennanti), Common Fox (Vulpes bengalensis);

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of these floral and faunal biodiversity of Chintamoni Kar Bird Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this protected area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Chintamoni Kar Bird Sanctuary and propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment;

AND WHEREAS, it has become necessary to specify certain areas around the Chintamoni Kar Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (I) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area upto 100 meters (uniform) from the boundary of the protected area of Chinatamoni Kar Bird Sanctuary in the State of West Bengal as the Chinatamoni Kar Bird Sanctuary Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone is bounded by $22^0$25'48.69"N latitude and $88^0$24'10.40"E longitude towards east; $22^0$25'45.67"N latitude and $88^0$23'54.33"E longitude towards west; $22^0$25'57.72"N latitude and $88^0$23'57.76"E longitude towards north and $22^0$25.40.00"N latitude and $88^0$24'8.23"E longitude towards south.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone is uniformly 100 meters, covering an area of 0.105 square kilometers.

(3) The map, boundary description of Eco-sensitive Zone, co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.

(4)The list of villages are appended as **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development ;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department;
(xii) Highways;
(xiii) West Bengal State Pollution Control Board.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for the activities such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

IndiaCode

(3) Tourism. - (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Department of Environment and Forest.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural Heritage. -** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government of West Bengal, State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder as amended from time to time.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid waste into bio-degradable and non bio-degradable components;

(c) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid waste shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management**.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The E-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example Compressed Natural Gas (CNG), etc.

(16) **Industrial units. -** (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes. -** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone notification, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing Mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of

		1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or

		agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste, water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
26.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of destructive methods in fishing for aquatic resources (fishes, prawns, crabs etc. Local).	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.
43.	Natural Habitat restoration.	Shall be actively promoted.
44.	Sensitization of people, students, tourists for developing eco friendly behaviours and attitudes.	Shall be actively promoted.
45.	Awareness reason and training activities for sustainable development and bio-diversity conservation.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprising of the following, namely:-

(i)	District Magistrate, 24-Parganas (South)	Chairman;
(ii)	Representative of the Chief Wildlife Warden, West Bengal	Member;
(iii)	Representative of State Pollution Control Board, West Bengal	Member;
(iv)	One representative of non-Governmental Organisation working in the field of environment	Member;
(v)	Representative of Agriculture Department, Government of West Bengal	Member;
(vi)	Representative of Urban Development and Housing Department, 24-Parganas (South), Government of West Bengal	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	Member,
(viii)	District Wildlife Warden, 24-Parganas (South),	Member-Secretary.

6. Terms of reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma appended as **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: -The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders:-The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

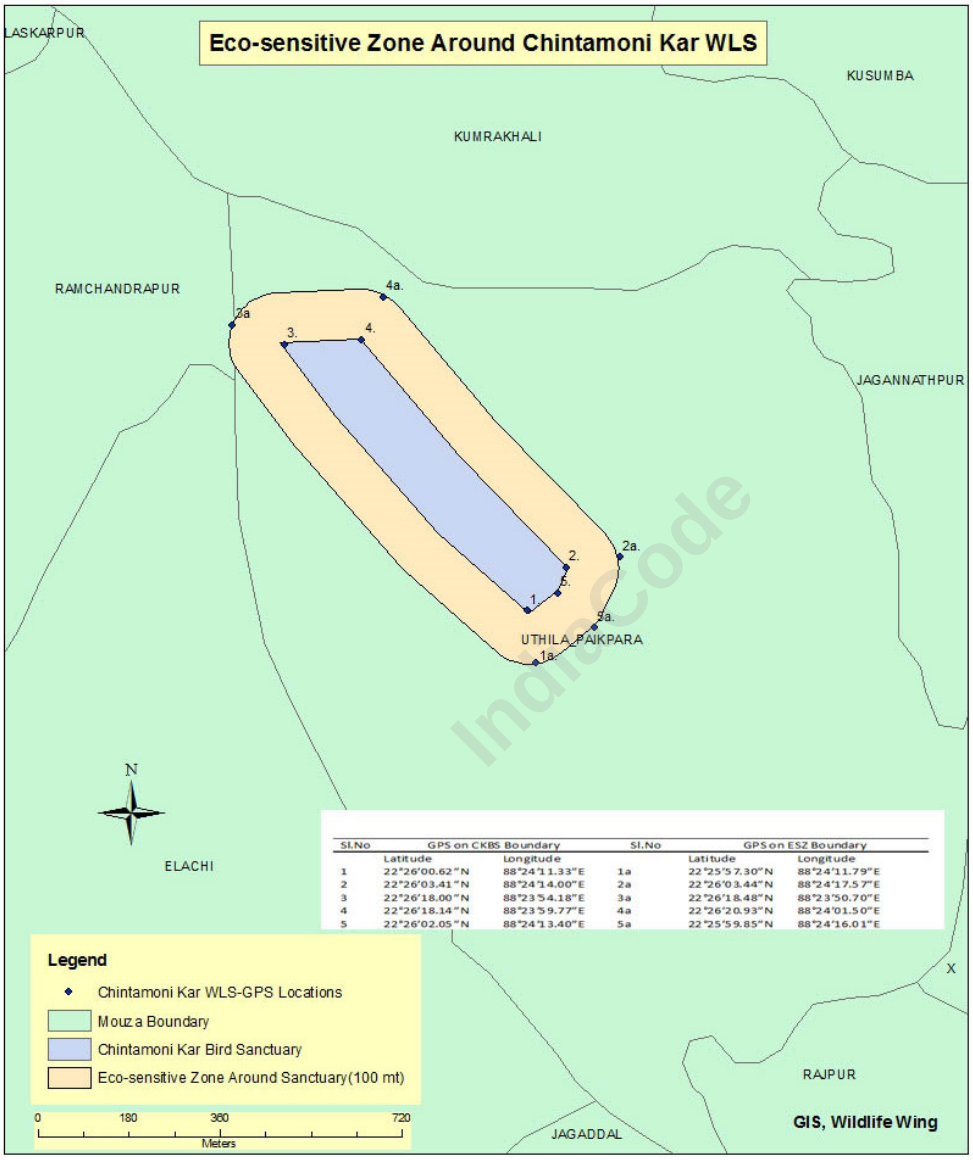
[F.No. 25/47/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINATAMONI KAR BIRD SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSTIVE ZONE

North: plot no 2073, 2097 and 2098
South: Road No 2900
East: Road No 2166 and Plot No 2150 and 2151
West: Adi Ganga drainage canal.

CO-ORDINATES OF CHINATAMONI KAR BIRD SANCTUARY

S.No.	Latitude	Longitude
1.	$22^0$26'00.62" N	$88^0$24'11.33" E
2.	$22^0$26'03.41" N	$88^0$24'14.00" E
3.	$22^0$26'18.00" N	$88^0$23'54.18" E
4.	$22^0$26'18.14" N	$88^0$23'59.77" E
5.	$22^0$26'02.05" N	$88^0$24'13.40" E

CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINATAMONI KAR BIRD SANCTUARY

S.No.	Latitude	Longitude
1a	$22^0$25'57.30" N	$88^0$24'11.79" E
2a	$22^0$26'03.44" N	$88^0$24'17.57" E
3a	$22^0$26'18.48" N	$88^0$23'50.70" E
4a	$22^0$26'20.93" N	$88^0$24'01.50" E
5a	$22^0$25'59.85" N	$88^0$24'16.01" E

ANNEXURE-II

List of Village within the 100 meter of the Boundary of Chintamoni Kar Bird Wildlife Sanctuary

SL. NO.	NAME OF P.S.	VILLAGE	MOUZA	Area Type	Geo-Reference	
1	SONARPUR	UKILAPAIKPARA	UKILAPAIKPARA	Residential	22-25'-54.7"	88-23'-54.4"
2	SONARPUR	RATHTALA	RAJPUR	Residential	22-25'-46.09"	88-24'-09.84"
3	SONARPUR	JAGADDAL, ELACHI	JAGADDAL, ELACHI	Residential	22-25'-42.85"	88-24'-12.1"

ANNEXURE-III

Proforma of Action Taken Report: -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.18 12:02:02 +05'30'